रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939
No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

फा. सं. विप.-रजि./0002/2007.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम1989 का और संशोधन करने केलिए निम्नलिखित विनियम बनाता है। अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1)** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्त्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 में, विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

   "3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना.—(1) बोर्ड को, तीन वर्षों की खंड अवधि या उसके किसी भाग के लिए, धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन, विहित प्ररूप में दिया जाएगा, जिसके साथ नीचे दिए अनुसार फीस और यथा लागू कर, संलग्न होगा ।

(i) विनिर्माता निर्यातकर्ता : 15,000/- रुपए

(ii) वाणिज्यिक निर्यातकर्ता : 10,000/- रुपए

(2) फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पाने वाले के खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी और प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए, प्रमाणपत्र अनुदत्त करने हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(3) यदि कोई आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसमें अपेक्षित विशिष्टियों में से कोई विशिष्टि नहीं है, तो आवेदन को संक्षेपतः रद्द किया जा सकेगा ।

(4) बोर्ड को एक बार प्रेषित फीस किन्हीं परिस्थितियों में भी प्रतिदेय नहीं होगी।

(5) प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के आवेदन के साथ आवेदक की वित्तीय स्थिति की बाबत बैंक का एक निर्देश या प्रमाण पत्र लगा होगा ।

(6) प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, यदि आवेदन की उपयुक्तता के बारे में उसका समाधान हो जाता है, तो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मसालों का निर्यात करने केलिए आवेदक को विहित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(7) यदि आवेदन विनिर्माता निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण केलिए है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को विहित प्रपत्र में कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी मसालों के निर्यातकर्ता के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में समाधान हो जाता है ।

4. **प्रमाणपत्र का नवीकरण.—**(1) निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहने वाला कोई व्यक्ति या अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किए जाने केलिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, विहित प्रपत्र में, विद्यमान प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने वाली तारीख को या उससे पूर्व, प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा, जिसके साथ निम्नानुसार फीस और कर, जैसेकि लागू हो, संलग्न होगा ।

नवीकरण/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना

(क) विनिर्माता निर्यातकर्ता : 10,000/- रुपए

(ख) वाणिज्यिक निर्यातकर्ता : 7,500/- रुपए

परंतु , प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति के बाद विद्यमान प्रमाणपत्र के नवीकरण केलिए प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे निर्यातकर्ता नए रजिस्ट्रीकरण केलिए आवेदन कर सकते हैं ।

(2) फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पाने वाले के खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी। प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए, नवीकरण या अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(3) यदि निर्यातकर्ता उस अवधि के दौरान कोई निर्यात कारबार नहीं करता है जिसके लिए वह कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है तो, अगले तीन वर्षों तक केलिए उन्हें अपने प्रमाणपत्र के नवीकरण से विवर्जित किया जा सकता है;

परंतु, यदि निर्यातकर्ता कोई निर्यात संविदा करता है तो वह बोर्ड को इन विनियमों में विहित रीति से एक प्रमाणपत्र केलिए आवेदन कर सकता है।

5. प्रमाणपत्र के निबन्धन और शर्तें.—(1) प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्रमाणपत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तरण नहीं किया जाएगा।

(2) जहां, कोई प्रमाणपत्र धारक अपने कारबार का अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है या अन्यथा अन्तरण करता है वहां, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती इन विनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए प्रमाणपत्र केलिए आवेदन करेगा।

(3) जहां किसी प्रमाणपत्रधारक निर्यातकर्ता के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, वही वह प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा, साथ ही आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ों तथा प्रत्येक संशोधन केलिए 5000/- रुपए के फीस के साथ प्रमाणपत्र के संशोधन केलिए निवेदन करेगा और फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची में संदेय क्रॉस पानेवाले खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में होगी और प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए, प्रमाणपत्र में संशोधन हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(4) प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से, इस बाबत तीन मास की अवधि तक के विलंब को माफ कर सकेगा और यदि जहां प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा विलंब को माफ नहीं किया जाता है या परिवर्तन की अपेक्षित सूचना विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है, वहां निर्यातकर्ता विनियम 3 के उप विनियम(1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(5) विनिर्माता-निर्यातकर्ता की दशा में, प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि क्या परिवर्तन बाबत संबंधित प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है और सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी नए समुत्थान को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो यथास्थिति, नाम या पते में परिवर्तन की तारीख से विधिमान्य होगा ।

(6) जहां, मृत्यु के कारण किसी प्रमाणपत्र धारण करनेवाली निर्यातकर्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है और स्वामी या भागीदार के रूप में मृतक के विधिक वारिसों का पारिणामिक प्रवेश होता है (किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब समुत्थान की दशा में कर्ता के परिवर्तन से), और पुनर्गठित फर्म इसके नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण कारबार का अधिग्रहण करता है वहां ऐसे परिवर्तन से किसी नए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं होगी ।

परन्तु यह कि जहां किसी प्रमाणपत्रधारक के स्वामित्व, गठन, भागीदारी या मुख्तारनामे के धारक में कोई परिवर्तन है, वहां प्रमाणपत्र समाप्त हुआ समझा जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा ।

परन्तु यह और कि नया प्रमाण पत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक- बोर्ड के गठन के परिवर्तनों पर अपेक्षित नहीं होगा ।

(7) यदि, कोई प्रमाण पत्र धारक, उसके प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आनेवाले कारबार बाबत कोई भागीदारी करता है तो वह नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा/ करेगी ।

(8) यदि, प्रमाण पत्र धारण करने वाली किसी भागीदारी का विघटन हो जाता है तो, प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व कोई भागीदार था, उसके तीस दिन के भीतर विघटन पर एक रिपोर्ट प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को भेजेगा ।

(9) प्रमाण पत्र धारक, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, विहित प्ररूप में मसालों के निर्यात और आयात बाबत एक तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा और तिमाही विवरण प्रस्तुत न करना विनियम का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही, बोर्ड द्वारा जब कभी मांग की जाने पर मसाला निर्यातक के रूप में उनके कारबार के संबंध में कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(10) उप विनियमन (13) और (14) के अधीन रहते हुए, प्रमाणपत्रधारक, निर्यात संविदा में क्रेता के साथ करार पाए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मसालों का यानान्तरण करेगा ।

(11) मसालों का प्रत्येक निर्यातकर्ता, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की मांग पर, मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा ।

(12) प्रमाण पत्र धारक, संविदा के निबन्धनों के अनुसार क्रेता के साथ हुई निर्यात संविदाओं के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और संविदा के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा, यदि क्रेता ने संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन किया है ।

(13) प्रमाण पत्र धारक, किसी ऐसे मसालों के निर्यात की न तो संविदा करेगा और न ही ऐसे मसालों का निर्यात करेगा, जो निर्यात किए जानेवाले देश में प्रवृत्त क्वालिटी मानकों, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006(2006 की सं. 34) द्वारा विहित मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं है ।

(14) प्रमाण पत्र धारक, माल की भौगोलिक संसूचना (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम,1999 (1999 की सं. 48) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1937 की सं. 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निर्यात क्वालिटी (नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963(1963 की सं. 22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए, मसालों का निर्यात नहीं करेगा ।

(15) प्रत्येक प्रमाण पत्र धारक, मांग पर, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड या अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात-प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किए जा रहे, पैक किए गए, भण्डारण किए गए, भण्डारगृह कृत, आधानों में भरे हुए या परिवहन किए जा रहे मसालों से, उसके विश्लेषण केलिए, बोर्ड की प्रयोगशालाओं या बोर्ड द्वारा अभिहित प्रयोगशालाओं में विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप, का सत्यापन करने केलिए, नमूने लेने केलिए अनुज्ञात करेगा।

(16) प्रत्येक प्रमाण पत्र धारक को, यदि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, निर्यात करने से रोक सकेगा या पहले से निर्यात किए गए ऐसे मसालों को, जो इन विनियमों में यथाउपबंधित लिए गए नमूनों के विश्लेषण के दौरान विहित मानकों का समाधान करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उसके खर्चे पर वापस मंगवा सकेगा।

(17) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, निर्यात की अपनी संविदा को, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाविहित ऐसे मसालों बाबत, निर्यात से पूर्व रजिस्टर करेगा।

(18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे मसालों बाबत अपने ब्रांड नामों का रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि वे ब्रांड-नाम के अधीन उपभोक्ता-पैकों में निर्यात का प्रस्ताव करते हैं।

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./389/16-17]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/89, दिनांक: 05 अक्तूबर 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2002, तारीख 4 सितम्बर, 2002,

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2003, तारीख 30 जून, 2003,

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2004 तारीख 21 जून 2004,

अधिसूचना फा. सं. विप/रजि./01/09/ फा. सं. 7/1000/2011-ईपी(एग्री.V)/बागान-डी, दिनांक:16 अप्रैल, 2012 व अधिसूचना फा. सं. विप/रजि./01/09/ फा. सं. 7/1000/2011-ईपी (एग्री.V)/बागान-डी,दिनांक: 03-08-2012 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd January, 2018

F. No. MKT-REGN/0002/2017.—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act,1986 (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Amendment Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation, 1989, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

"3. **Grant of Certificate of Registration.—**(1) An application for grant of certificate under section 12, for a block period of three years or part thereof, shall be made to the Board in the prescribed form which shall be accompanied by a fee as given below, plus tax as applicable,

(i) Manufacturer Exporter : Rs.15,000/-

(ii) Merchant Exporter : Rs.10,000/-

(2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for grant of certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.

(3) If an application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.

(4) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.

(5) Application for grant of certificate shall be accompanied by a bank reference or certificate in respect of the financial status of the applicant.

(6) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in the prescribed form.

(7) If the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate in the prescribed form shall not be granted to a person unless the certificate issuing authority is satisfied with the facilities available in the Spices Processing Plant or unit of the exporter of the spices.

4. **Renewal of Certificate.—**(1) Any person desiring to renew the certificate as exporter or apply for issue of duplicate certificate shall submit an application in the prescribed form to the certificate issuing authority, on or before the expiry of the validity of the existing certificate, accompanied with the fees as given below, plus the tax as applicable,

Renewal/Issue of Duplicate Certificate

(a) Manufacturer Exporter : Rs.10,000/-

(b) Merchant Exporter : Rs.7,500/-

Provided that applications received after the expiry of validity of the certificate, shall not be entertained for renewal of existing certificate and such exporters may apply for fresh registration.

(2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for renewal or issue of duplicate certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.

(3) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, he may be debarred from renewing his certificate for the next three years;

Provided that if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh certificate in the manner prescribed in these regulations.

5. **Terms and Conditions of Certificate.—**(1) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the Certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.

(2) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be shall apply for a fresh certificate in accordance with the provisions of these regulations and rules.

(3) Where there is any change in the name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the certificate issuing authority within a period of thirty days from the date of change, along with request for amendment of certificate, accompanied by necessary supporting documents and a fees of Rs. 5000 for each amendment and the fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for amendment of certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.

(4) The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard up to a period of three months and in case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time specified, the exporter shall apply for fresh registration, accompanied by the fee as specified in sub-regulation (1) of regulation 3.

(5) In the case of manufacturer exporters, the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the authorities concerned, in regard to the change, has been obtained and after due verification, the certificate issuing authority may issue a fresh registration certificate to the new concern, which shall be valid from the date of change in name or address as the case may be.

(6) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by death and consequential admission of the legal heirs of the deceased as owner or partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address, such changes will not require any fresh registration:

Provided that where there is a change in the ownership, constitution, partnership or power of attorney holder of any certificate holder, the certificate shall be deemed to have expired and a fresh certificate shall be required:

Provided further that fresh certificate shall not be required to changes in the constitution of the Board of Directors of public limited companies.

(7) If a certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he or she shall apply for a fresh certificate.

(8) If a partnership, holding a certificate is dissolved, every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.

(9) The certificate holder shall submit quarterly returns regarding exports and imports of spices in the prescribed forms as specified by the Board from time to time and non submission of quarterly returns shall be considered as violation of the regulation and shall also furnish any other information in connection with his business as spice exporter, as and when called for by the Board.

(10) Subject to sub-regulations (13) and (14), the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to, with the buyer in the export contract.

(11) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.

(12) The certificate holder shall fulfill all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract.

(13) The certificate holder shall neither contract to export nor export spices which do not conform to quality standards in force in the country to which they are exported, the standards prescribed by the Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder and quality standards prescribed by the Board, from time to time.

(14) The certificate holder shall not export spices in contravention of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 (48 of 1999) and the rules made thereunder, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the rules made thereunder and the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and the rules made thereunder.

(15) Every certificate holder shall, on demand, allow, any officer of the Board or agency authorised in this behalf by the Chairman, to draw samples, from spices being processed, packed, stored, warehoused, container stuffed or transported for export purposes, for analysis of the same, to verify conformity to prescribed quality standards, in the laboratories of the Board or in the laboratories designated by the Board.

(16) Every certificate holder shall, if so required, by an officer authorised in this behalf by the Chairman, refrain from exporting or recall if already exported, at his expense, spices which during analysis of samples drawn as provided in these regulations, are found to be not satisfying the prescribed standards.

(17) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Board from time to time.

(18) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand name.

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./389/16-17]

Foot Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification F. No. Admn/Reg/01/89, dated the 5th of October, 1989 and subsequently amended vide

Notification F. No. Admn/Reg/01/2002, dated the 4th of September, 2002,

Notification F. No. Admn/Reg/01/2003, dated the 30th of June, 2003,

Notification F. No. Admn/Reg/01/2004, dated the 21st of June, 2004,

Notification F. No. Mkt/Regn/01/09/F. No. 7/1000/2011-EP(Agri.V)/Plant D, dated the 16th April, 2012 &

Notification F. No. Mkt/Regn/01/09/F. No. 7/1000/2011-EP(Agri.V)/Plant D, dated the 3rd of August, 2012.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.19 19:59:36 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.